

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा मुकाम दौसा

जायदाद बनाम राबिन्द्राज पौ.

किस्म मुकदमा प्रो. प्र. 111 नं. 2/2012 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुयें
26/10/20	<p>आज सादर अर्ज करी में दाखल होने से तलपेशी दी गई। पालना में दिनांक 11.11.20 को पेश हों।</p>	
11/24	<p>PO सा. का स्थानांतरण होने से तलपेशी दी गई। पालना में दिनांक 11.11.20 को पेश हों।</p>	
07/23	<p>आज सादर अर्ज करी में दाखल होने से तलपेशी दी गई। पालना में दिनांक 05.05.20 को पेश हों।</p>	
06/24	<p>आज सादर अर्ज करी में दाखल होने से तलपेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 11.11.20 को पेश हों।</p>	
05/24	<p>पतावली पेश हुई। वकील अमर पट्ट 30, पतावली का इस्तोखव किया गया। अवेबिलिटी दिनांक 18.04.2022 के अनुसार पतावली में एडवोकेट सा. प्र. 06R17 स्वीकार करने के परस्परवच संशोधित सा. प्र. पेश करने हेतु तारीखों निर्दिष्ट किया गया था। तारीखों और संशोधित सा. प्र. पेश न करने के कारण दिनांक 14.02.2023 को संशोधित सा. प्र. पेश करने हेतु तारीखों अतिरिक्त अवनति करी किया जा चुका है। किन्तु तारीखों द्वारा अवेबिलिटी परीक्षा अतीत हो जाने के कारण भी आदेशों एक संशोधित सा. प्र. पेश नहीं किए गए हैं। वकील तारीखों द्वारा आज भी संशोधित सा. प्र. पेश करने से मना किया। प्रतीत होता है कि तारीखों प्रकरण में इलाकाधिकार वच संशोधित अवनति-पावला है। अतः तारीखों वकील अमर पट्ट को अवेबिलिटी परीक्षा की संशोधित सा. प्र. पेश न करने के कारण प्रकरण अवनति पालना में अतीत किया जा रहा है। पतावली को अमर पट्ट वकील अमर पट्ट से मना हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राजो)